प्राक्कथन

धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करते हुए मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों-संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियों तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

हमारे निष्कर्ष मुख्यतः फरवरी 2012 से जुलाई 2012 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।